

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 216 / 12-1

दिनांक जुलाई, 14 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
पौड़ी, उत्तराखण्ड।

विषय :- बगोली कोटी मोटर मार्ग का विस्तार में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 25 जून 2016।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Short Narrative of the proposal in Part-I does not provide adequate information about project.	पार्ट-1 के क्रम संख्या A-1 (iii) में Short Narrative का विवरण भर दिया गया है।
2	Total period for which the forest land proposed to be diverted is not mentioned in Part-I.	पार्ट-1 के क्रम संख्या A-1 (x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।
3	Component wise break up is not provided in proper. The component wise break up should involved details of area marked for road construction, muck disposal etc.	उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मक डिसपोजल नापभूमि में किया जा रहा है। अतः Component wise breakup में सिर्फ Road Construction हेतु हस्तान्तरित भूमि 2.219 हे. को लिया गया है। मक डिसपोजल हेतु भूमि हस्तान्तरित नहीं की जानी है।
4	May provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo-coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment of the proposed road including all turning points (TIFF, IMG or JPEG). The map uploaded for the purpose shows only few points marked manually which does not serve the purpose. Coordinates should be digitally marked on the map.	वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates regular interval 200m to 300m में दर्शाते हुये पार्ट-1 के क्रम संख्या C (iii) and (iv) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1 पेज 3 से 5)
5	The village wise break up shows that the road passed from the area of one village but in the certificate of villages benefited by the proposal three numbers of villages are mentioned. If the proposed road passed from boundary three villages then it should be mentioned in village wise break up in online Part-I	पार्ट-1 के क्रम संख्या B-2.3 में Village wise area Mention कर दिया गया है।
6	The village level committee (VLC) proceedings of FRA certificate only one gram panchayat is mentioned. The state Govt may comment on the same that if three villages are involved then why the VLC carried out only for one village and if required provide VLC proceedings for other gram sabhas also.	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्रामसभा कोटी के अन्तर्गत आते हैं। जिसका Village level committee (VLC) FRA certificate पूर्व से ही उपलब्ध है।
7	The digital map of area proposed for CA is provided with only four geo-coordinates which does not serve the purpose as per DSS analysis is concern. May provide/upload FIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The revised polygon/closed KML file may also be uploaded in online Part-I and II at designated place.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates All corner points में दर्शाते हुये पार्ट-1 के क्रम संख्या L (v) and (vi) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2 पेज 6 से 7)

पेज-3

अमर:

8	FRA certificate uploaded in part-I is without mentioning date on it. May mention the date on FRA certificate.	पार्ट-1 के क्रम संख्या K (a) में FRA में Date Mention कर दी गयी है। (संलग्नक-3 पेज 8 से 13)
9	The land schedule attached with the proposal shows requirement of non forest land in the project which is 1.631 ha but no such detail is provided in online Part-I and II in designated columns. The information may be filled in online Part-I and II in appropriate columns.	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के लैंड शैड्यूल में non forest land नहीं दर्शाया गया है। जो संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4 पेज 14)
10	The rate of NPV charged for very dense forest which is 9.39 Lakh per ha. But as per density provided the 0.4 density does not support the NPV rate executed. Revise rate may be charged and provide a copy of NPV calculation to this office.	प्रभाग स्तर से एन0पी0वी0 को रिवाईज कर संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-6 पेज 23)
11	Authenticated copy of Part-I, II, III, IV and V may be furnished to this office which is uploaded in online web portal.	Authenticated copy of Part-I, II, III, IV and V संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-5 पेज 15 से 22)

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :-

प्रपत्र।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
 बद्रीनाथ, वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- 2103/10 LA

दिनांक :- 14 / 07 / 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- बगोली कोटी मोटर मार्ग का विस्तार में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 5097/12-1 दिनांक 29.06.2016।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Short Narrative of the proposal in Part-I does not provide adequate information about project.	पार्ट-1 के क्रम संख्या A-1 (iii) में Short Narrative का विवरण भर दिया गया है।
2	Total period for which the forest land proposed to be diverted is not mentioned in Part-I.	पार्ट-1 के क्रम संख्या A-1 (x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।
3	Component wise break up is not provided in proper. The component wise break up should involved details of area marked for road construction, muck disposal etc.	उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मक डिस्पोजल नापभूमि में किया जा रहा है। अतः Component wise breakup में सिर्फ Road Construction हेतु हस्तान्तरित भूमि 2.219 हे. को लिया गया है। मक डिस्पोजल हेतु भूमि हस्तान्तरित नहीं की जानी है।
4	May provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo-coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment of the proposed road including all turning points (TIFF, IMG or JPEG). The map uploaded for the purpose shows only few points marked manually which does not serve the purpose. Coordinates should be digitally marked on the map.	वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates regular interval 200m to 300m में दर्शाते हुये पार्ट-1 के क्रम संख्या C (iii) and (iv) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1 पेज 3 से 5)
5	The village wise break up shows that the road passed from the area of one village but in the certificate of villages benefited by the proposal three numbers of villages are mentioned. If the proposed road passed from boundary three villages then it should be mentioned in village wise break up in online Part-I	पार्ट-1 के क्रम संख्या B-2.3 में Village wise area Mention कर दिया गया है।
6	The village level committee (VLC) proceedings of FRA certificate only one gram panchayat is mentioned. The state Govt may comment on the same that if three villages are involved then why the VLC carried out only for one village and if required provide VLC proceedings for other gram sabhas also.	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्रामसभा कोटी के अन्तर्गत आते हैं। जिसका Village level committee (VLC) FRA certificate पूर्व से ही उपलब्ध है।


7	The digital map of area proposed for CA is provided with only four geo-coordinates which does not serve the purpose as per DSS analysis is concern. May provide/upload FIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The revised polygon/closed KML file may also be uploaded in online Part-I and II at designated place.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates All corner points में दर्शाते हुये पार्ट-1 के क्रम संख्या L (v) and (vi) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2 पेज 6 से 7)
8	FRA certificate uploaded in part-I is without mentioning date on it. May mention the date on FRA certificate.	पार्ट-1 के क्रम संख्या K (a) में FRA में Date Mention कर दी गयी है। (संलग्नक-3 पेज 8 से 13)
9	The land schedule attached with the proposal shows requirement of non forest land in the project which is 1.631 ha but no such detail is provided in online Part-I and II in designated columns. The information may be filled in online Part-I and II in appropriate columns.	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के लैंड शैड्यूल में non forest land नहीं दर्शाया गया है। जो संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4 पेज 14)
10	The rate of NPV charged for very dense forest which is 9.39 Lakh per ha. But as per density provided the 0.4 density does not support the NPV rate executed. Revise rate may be charged and provide a copy of NPV calculation to this office.	उक्त आपत्ति का निराकरण डी.एफ.ओ. स्तर से किया जाना है।
11	Authenticated copy of Part-I, II, III, IV and V may be furnished to this office which is uploaded in online web portal.	Authenticated copy of Part-I, II, III, IV and V संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-5 पेज 15 से 22)

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न :- प्रपत्र।


(ज.पी.रस्तुड़ी)
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (लम्बाई – 6.000 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary


Handwritten signatures and stamps:

अधिसूचना अभियन्ता
राज्यीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्मप्रयाग

प्रशासीय बन्नाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (लम्बाई – 6.000 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Muck Disposal
- Alternate Road
- Proposed_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary

[Handwritten signature]


05/07/16
 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
 कर्णप्रयाग

05/07/16
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
 कर्णप्रयाग

[Handwritten signature]
 प्रभागीय वन्यधिकारी
 बलीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

जियो रेफरेंस मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (लम्बाई – 6.000 कि०मी०)

Scale - 1:10,000



ID	LONGITUDE	LATITUDE	ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°16' 56.974" E	30°9' 54.401" N	22	79°16' 33.453" E	30°9' 55.700" N
2	79°16' 59.893" E	30°9' 57.990" N	23	79°16' 30.753" E	30°9' 58.223" N
3	79°16' 56.404" E	30°10' 0.098" N	24	79°16' 27.500" E	30°9' 59.267" N
4	79°16' 51.509" E	30°10' 0.041" N	25	79°16' 31.911" E	30°9' 56.929" N
5	79°16' 46.495" E	30°10' 2.239" N	26	79°16' 33.076" E	30°9' 53.353" N
6	79°16' 49.534" E	30°9' 59.855" N	27	79°16' 36.198" E	30°9' 50.344" N
7	79°16' 54.088" E	30°9' 59.003" N	28	79°16' 36.175" E	30°9' 45.634" N
8	79°16' 55.799" E	30°9' 56.250" N	29	79°16' 38.181" E	30°9' 42.038" N
9	79°16' 52.009" E	30°9' 53.788" N	30	79°16' 39.899" E	30°9' 38.870" N
10	79°16' 48.107" E	30°9' 51.164" N	31	79°16' 36.610" E	30°9' 35.355" N
11	79°16' 45.139" E	30°9' 47.633" N	32	79°16' 32.070" E	30°9' 35.175" N
12	79°16' 47.819" E	30°9' 43.931" N	33	79°16' 31.541" E	30°9' 30.838" N
13	79°16' 52.092" E	30°9' 39.054" N	34	79°16' 33.327" E	30°9' 26.344" N
14	79°16' 49.818" E	30°9' 35.532" N	35	79°16' 29.663" E	30°9' 24.873" N
15	79°16' 50.545" E	30°9' 38.713" N	36	79°16' 24.888" E	30°9' 25.050" N
16	79°16' 46.759" E	30°9' 41.554" N	37	79°16' 23.289" E	30°9' 21.089" N
17	79°16' 43.322" E	30°9' 44.866" N	38	79°16' 22.339" E	30°9' 16.782" N
18	79°16' 40.672" E	30°9' 48.137" N	39	79°16' 19.881" E	30°9' 13.037" N
19	79°16' 40.702" E	30°9' 52.529" N	40	79°16' 21.807" E	30°9' 7.848" N
20	79°16' 42.653" E	30°9' 55.701" N	41	79°16' 19.003" E	30°9' 6.317" N
21	79°16' 38.031" E	30°9' 55.076" N	42	79°16' 18.928" E	30°9' 1.861" N
A	79°16' 54.120" E	30°9' 50.339" N			Muck Disposal
B	79°16' 59.444" E	30°9' 58.788" N			Muck Disposal
C	79°16' 55.856" E	30°9' 56.855" N			Muck Disposal
D	79°16' 47.280" E	30°9' 49.799" N			Muck Disposal
E	79°16' 48.299" E	30°9' 41.220" N			Muck Disposal
F	79°16' 42.121" E	30°9' 53.161" N			Muck Disposal
G	79°16' 33.600" E	30°9' 55.800" N			Muck Disposal
H	79°16' 37.020" E	30°9' 55.800" N			Muck Disposal
I	79°16' 33.780" E	30°9' 36.421" N			Muck Disposal
J	79°16' 31.199" E	30°9' 33.361" N			Muck Disposal
K	79°16' 23.700" E	30°9' 23.400" N			Muck Disposal
L	79°16' 20.219" E	30°9' 10.980" N			Muck Disposal

Legend

- GPS Points
- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road

Handwritten signature and initials

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड ले०नि०वि०
कपर्णप्रयाग

अभियन्ता अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड ले०.नि.वि.
कपर्णप्रयाग

प्रभागीय बन्नाधिकारी
बदीनाह वन प्रभाग, गोपेश्वरा

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (लम्बाई – 6.000 कि०मी०) प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 Km




Legend

- Proposed Plantation Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary

05/07/16
 सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि. कर्णप्रयाग
 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि. कर्णप्रयाग
 प्रभागीय वन्याधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

जियो रेफरेंस मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग (लम्बाई – 6.000 कि०मी०) के विस्तार हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल



Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79°17' 42.822" E	30°9' 36.772" N
B	79°17' 45.636" E	30°9' 37.653" N
C	79°17' 43.917" E	30°9' 39.419" N
D	79°17' 41.221" E	30°9' 39.234" N

[Signature]
JE

16/7/14
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

16/07/16
अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

[Signature]
प्रभागिय वन्याधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 14 / 01 / 2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **2.219 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Extension of Bagoli Koti Motor Road in district Chamoli** falls within jurisdiction of Koti, Painkholi Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.219 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.09.2015. At 14.09.2015 at Chamoli in which the application claiming rights in village Koti, Painkholi of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 2.219 Hectares for the **Extension of Bagoli Koti Motor Road in district Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्डचमोली.....परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार (....x....हे. आरक्षित वन भूमि...0.245....हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.974 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.219 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/2015 को उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:- श्रीवि.प्र.सिंह नेगी उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग () अध्यक्ष

2:- श्रीसि.प्र.सिंह नेगी उप प्रभागीय बनाधिकारी सदस्य

3:- श्रीमोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य

4:- श्रीबी.डी.सी. क्षेत्र पंचायत कोटी सदस्य

5:- श्रीतहसील कर्णप्रयाग (चमोली) सदस्य

6:- श्रीउपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना हेतु 2.219 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

उप प्रभागीय बनाधिकारी
चमोली उप वन प्रभागीय
वन प्रभागीय (कर्णप्रयाग)

13/1/2015
उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग

उप प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

Mallepati
Chhab

(106).
 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनावधिकारी ~~न.प्र.वि.ता.व. प्र.प्र.मा.ग.~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं हकिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु परियोजना के निर्माण हेतु ...2.219..हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- कर्णप्रयाग
 जनपद - चमोली।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवासही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- कर्णप्रयाग
 जनपद - चमोली।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- कोटी

तहसील - कर्णप्रयाग, जिला.- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु(X हे. आरक्षित वन भूमि, 0.245 हे. सिविल सोयम भूमि 1.974 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात् कुल 2.219 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटी द्वारा दिनांक 6-1-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

Handwritten signature
ज्वेलर उप प्रमुख
ग्राम पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत कोटी
हस्ताक्षर *ma*
दिनांक 6/1/2015
कर्णप्रयाग चमोली

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./-

ग्राम सचिव,

ग्राम प्रधान- कोटी

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 6.1.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - कोटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सर्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद	
2-	शिवराम 52-12	शिवराम 52-12
3-	मरत लाल	Ram
4-	गणेश लाल	
5-	मानसिंह	
6-	काशीराम	
7-	BD Douneli	
8-	जातासिंह	
9-	मरत लाल	
10-	गिरिश लाल	

हस्ताक्षर
ज्येष्ठ उप प्रमुख
ग्राम पंचायत
कण्ठप्रयाग (बनौली)

ग्राम पंचायत कोटी
हस्ताक्षर
दिनांक 6/1/2015


मरतलाल
दिनांक 6/1/2015


लैन्ड शेड्यूल


सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार हेतु सिविल /वन पंचायती भूमि के प्रस्ताव।


जिला	तहसील	ग्राम	खसरा सं०	कुल रकवा	याचित क्षेत्रफल (हे०)
चमोली	कर्णप्रयाग	कोटी सिविल १		०.८०५	०.११२
		चमोटी "	१	२.२००	०.०४९
		ज्वालखेत "	३	०.३७७	०.०८४
				योग:-	०.२४५
		कोटी वन पंचायत	२०	३५.५५८	१.३६५
		ज्वालखेत व.प.	९	६.६६१	०.६०९
				योग:-	१.९७४
		सम्पूर्ण योग:-			२.२१९ हे०



अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशास्त्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


पटवारी
कोटी


तहसीलदार
कर्णप्रयाग


उपाजिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

जिला अधिकारी

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में
बगोली कोटी मोटर मार्ग का निर्माण।

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में बगोली
कोटी मोटर मार्ग का निर्माण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न

ग) परियोजना की लागत।

रु. 220.50 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
यातायात
का औचित्य।

दुरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु
को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जानेके लिए)

लागू नहीं।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

स्थानीय कृषि उत्पादन, बागवानी एवं
वानिकी में वृद्धि होने के फलस्वरूप

रोजगार के अवसर बढेंगे

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार

सिविल भूमि-	0.249 हे.
वन पंचायत-	1.974 हे.
नाप भूमि-	1.631 हे.
कुल-	3.850 हे.

विवरण:

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

परियोजना के कारण कोई भी व्यक्ति
परिवार विस्थापित नहीं होगी।

क) परिवारों की संख्या

"

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

-----"

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

-----"

-2-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

हाँ,

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

अनुसूची संलग्न है।

दिनांक 14/7/16

स्थान Kasan

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या-

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

FP/UK/ROAD/10119/2015
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7- परियोजना/स्कीम का स्थान **Extension of Bagoli Koti Motor Road in district Chamoli**

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

- उत्तराखण्ड राज्य

(2) जिला

- चमोली

(3) वन प्रभाग

- जडीनाथ वन प्रभाग, जोषेखर 1

(4) वनंतार भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

2.219 हे०

(5) वन की कानूनी रिधति

सिक्ल एवं वन पंचायत

(6) हरियाली घनत्व

~~0.1~~ 0.4

(7) जातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं का सम्बन्ध में एफ0आर0एल0- 2 मी० पर परिगणना और एफ0आर0एल0 -4 मी० भी संलग्न किये जायें।

प्रस्ताव में संलग्न

(8) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

भूवैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न नहीं

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

नहीं

(10) क्या क्षेत्र में वनरपति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

नहीं

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातावीय/पौरन्वरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

प्रस्तावित वन भूजि न्यूनतम है।

(8) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संरक्षित क्षेत्र क्या है।

नहीं

(9) क्या अधिनियम के तल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, बोधी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या तल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

संलग्न

10- प्रतिपूरक वनीकरण रकीम का ब्यौरा-
(11) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनंतार क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन ऐजेन्सी समय अनुसूची लागत, ढांचा आदि
- (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

संलग्न

संलग्न

संलग्न

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम-7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

संलग्न

12- विभाग/जिलाप्रोफाईल :-

- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र- 803000 हे०
- (2) जिला का वन क्षेत्र- 514792 हे०
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र :- 216 गांवों 776.145 हे०
- (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि लक्ष्य नहीं
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- (5) 05/01/2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर 460.44 हे०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 409.39 हे०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 11/01/2016

स्थान:- जयपुर

हस्ताक्षर

(नाम:- अरुण अरुण पाण्डे)

प्रभागीय वनाधिकारी
सरकारी महल
ब्रीनाथ वन-प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रपत्र-2.2

PART-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/Road/10119/2015

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रभागीय वनधिकारी की कार्यवाही एवं सन्तुतिके अनुसार सहमत।
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत। परिपोजना क्षेत्रके अन्तर्गत विभिन्न प्रजातियोंके कुल 209 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनमें 144 वृक्षबाग के हैं।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में सन्तुतिके अन्तर्गत है।

दिनांक 13-04-2016

स्थान पोड़ी

हस्ताक्षर

नाम (जी. सामर)

वन संरक्षक
बड़वाल वृत्त
उत्तराखण्ड पोड़ी

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:-3852/1जी-FP/UK/ROAD/10119/2015 देहरादून: दिनांक: 15 जून, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-3410 दिनांक 10-05-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी-FP/UK/ROAD/10119/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग, चमोली।

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर में 1.974 है० पंचायत वन भूमि 0.245 है० राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 2.219 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेशित करने की संस्तुति की जाती है।



हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)
 प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
 एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
 वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 15/06/2016

स्थान : देहरादून

FILE NO. 1(204)/2016
PROPOSAL NO-FP/UK/ROAD/10119/2015
PROPOSAL NAME – BAGOLI - KOTI MOTOR ROAD
AREA-2.219 Ha

PART - V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:

(Adverse comments made by any officer of authority in Part-B or Part C or Part D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

17/6/16

Signature-



Name and designation


(Add'l. Secy)
Add'l. Secy
Forest & Environment
Uttarakhand Secretariat

Official seal

इकों क्लास / एन०वी०पी० का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अंतर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार(लम्बाई 5.00 कि०मी०) ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के अंतर्गत पड़ने वाली वन भूमि ईको क्लास V के अंतर्गत आता है जिसका एन०वी०पी० का मूल्य 2.219 हे० प्रति हे० X रू० 845000.00की दर से रू० 1875055.00 (रू० अठ्ठारह लाख पचहत्तर हजार पचपन) मात्र होता है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।